उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या-604/VI-I/2008-11(10)/94
देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर,2008

शास्ति-आदेश

श्री उत्पल सामन्त, प्रवक्ता–गायन (निलम्बित), भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण उनको संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-3593/चार-99-11(10)/94, दिनांक 18 दिसम्बर,1999 द्वारा निलम्बित किया गया तथा आदेश संख्या-3601/चार-99-11(10)/94, दिनांक 18 दिसम्बर,1999 द्वारा आरोप-पत्र जारी करते हुए आदेश संख्या-3646/चार-99-11(10)/94, दिनांक 18 दिसम्बर,1999 द्वारा श्री रमेश मिश्र, संयुक्त निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया:-

(1) अपचारी कार्मिक द्वारा हाईस्कूल परीक्षा 1976 हिन्दू इन्टर कालेज, रूदोली, बाराबंकी की फर्जी मार्कशीट और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का हाईस्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके मार्च 1990 में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून में प्रवक्ता (गायन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति पायी गयी तथा कालान्तर में इन्हीं फर्जी अभिलेखों के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर प्रवक्ता (गायन) के पद पर नियुक्ति पायी गयी।

(2) अपचारी कार्मिक द्वारा इण्टर मीडिएट परीक्षा 1978 हिन्दू इन्टर कालेज रूदोली, बाराबंकी की फर्जी मार्कशीट और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का इण्टर मीडिएट का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके मार्च 1990 में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून में प्रवक्ता (गायन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति पायी गयी तथा कालान्तर में इन्हीं फर्जी अभिलेखों के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर प्रवक्ता (गायन) के पद पर नियुक्ति पायी गयी।

(3) श्री सामन्त द्वारा संस्कृति विभाग के अधीन भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में "निपुण" पाठयक्रम के आवेदन-पत्र में हाई स्कूल परीक्षा पश्चिमी बंगाल, बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन से वर्ष 1979 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण दर्शाया गया तथा प्रवक्ता गायन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र में हाई स्कूल परीक्षा 1976 में तृतीय श्रेणी में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से उतीर्ण होना दर्शाया गया है, जो फर्जी पाया गया है। उक्त फर्जी अभिलेखों के आधार पर " निपूण" पाठयक्रम उत्तीर्ण किया गया जिसको बाद में प्रवक्ता (गायन) के पद पर तदर्थ एवं नियमित नियुक्ति पाने हेतु उपयोग में लाया गया।

(4) अपचारी कार्मिक द्वारा प्रवक्ता (गायन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के बायोडाटा फार्म तथा अटेस्टेशन प्रमाण-पत्र में झूठी जन्मतिथि तथा फर्जी ढंग से तैयार किये गये हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट के अभिलेखों के आधार पर झूठी तथा मिथ्यापूर्ण सूचना अंकित की गयी, जिस आधार पर ही लोक सेवा आयोग द्वारा अपचारी कार्मिक की प्रवक्ता (गायन) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति भेजी गयी।

(5) कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट, श्री सारदीन्दु सामन्त के पत्र दिनांक 21-01-1984 से विदित होता है कि अपचारी कार्मिक की वास्तविक जन्मतिथि 28-05-1956 थी, जिसको दिनांक 28-05-1960 किये जाने हेतु अपचारी कार्मिक द्वारा सिटी सिविल कोर्ट कलकत्ता के न्यायालय में एक मुकदमा संख्या-1680/1983 दाखिल किया था, जो उस समय विचाराधीन था किन्तु प्रवक्ता (गायन) के पद पर भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों तथा लोक सेवा आयोग के बायोडाटा फार्म में उन्होंने अपनी जन्मतिथि 28-05-1962

...2

अंकित की है। इससे विदित होता है कि अपचारी कार्मिक द्वारा भिन्न–भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न जन्मतिथियां अर्थात दिनांक 28-05-1956, दिनांक 28-05-1960 तथा 28-05-1962 दर्शायी है, जबकि किसी व्यक्ति की एक ही जन्मतिथि होती है।

2. श्री रमेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त निदेशक का संस्कृति विभाग से स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर आदेश दिनांकित 22 सितम्बर,2000 द्वारा निदेशक, संस्कृति निदेशालय को जांच अधिकारी बनाया गया। पुन: आदेश दिनांकित 28 सितम्बर,2000 द्वारा निदेशक, संस्कृति निदेशालय के स्थान पर उप निदेशक, संस्कृति निदेशालय (सुश्री अनुराधा गोयल) को जांच अधिकारी बनाया गया। यह उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी द्वारा संगत नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार अपचारी कार्मिक को आरोप पत्र का उत्तर/बचाव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त पत्राचार किया गया तथा सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु अपचारी कार्मिक द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद न तो बचाव उत्तर प्रस्तुत किया और न हीं मौखिक साक्ष्य दिया गया। अत: जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-208-स/सं0नि0/-6(15)/94-95, दिनांक 07 नवम्बर,2000 द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गयी। शासन के पत्र दिनांकित 08-11-2000 द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मी को भेजते हुए उन्हें अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया, किन्तु श्री उत्पल सामन्त द्वारा जांच रिपोर्ट पर भी कोई अभ्यावेदन/बचाव उत्तर नहीं दिया गया।

3. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट में यह सुस्पष्ट किया गया है कि सहायक सचिव, सत्यापन, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-सत्यापन-30/42-98-99/जाली/637, दिनांक 02 जनवरी,1999 व पत्र संख्या-सत्यापन-30/22/2000-2001/जाली/4361, दिनांक 06 नवम्बर,2000 द्वारा यह सूचित किया गया है कि हाई-स्कूल परीक्षा, 1976 में अनुक्रमांक संख्या-400271 (जो कि अपचारी कार्मिक के हाई-स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित है) से "अशोक कुमार पुत्र श्री रविन्द्र नाथ सिंह" उद्योग विद्यालय इन्टर कॉलेज, कोयलसा, आजमगढ़ सम्मिलित हुए न कि "उत्पल सामन्त पुत्र श्री डी0एन0 सामन्त।" प्रधानाचार्य, हिन्दु इन्टर कॉलेज, रूदौली, फैजाबाद (अपचारी कार्मिक के हाई-स्कूल के प्रमाण-पत्र में दर्शित विद्यालय) के पत्र संख्या-28/विविध/99-2000, दिनांक 28 अगस्त,1999 द्वारा सूचित किया गया है कि हाई-स्कूल परीक्षा, 1976 में उनके विद्यालय से अनुक्रमांक संख्या-400271 तथा "उत्पल सामन्त पुत्र श्री डी0एन0 सामन्त।" नाम से कोई अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुआ। इसी प्रकार उप सचिव (सत्यापन) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-सत्यापन-30/42-98-99/जाली/637, दिनांक 02 जनवरी,1999 द्वारा यह सूचित किया गया है कि इन्टरमिडिएट परीक्षा, 1978 में अनुक्रमांक संख्या-390416 (जो कि अपचारी कार्मिक के इन्टरमिडिएट प्रमाण-पत्र में अंकित है) डी0आर0 लिस्ट में अनुदानित नहीं है। प्रधानाचार्य, हिन्दु इन्टर कॉलेज, रूदौली, फैजाबाद (अपचारी कार्मिक के हाई-स्कूल के प्रमाण-पत्र में दर्शित विद्यालय) के पत्र संख्या-35/विविध/99-2000, दिनांक 15 सितम्बर,1999 द्वारा सूचित किया गया है कि इन्टरमिडिएट परीक्षा, 1978 में उनके विद्यालय से अनुक्रमांक संख्या-390416 तथा "उत्पल सामन्त पुत्र श्री डी0एन0 सामन्त।" नाम से कोई अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुआ। इसी प्रकार फर्जी अभिलेखों के आधार पर "निपुण" पाठयक्रम उत्तीर्ण करना, लोक सेवा आयोग के अटेस्टेशन प्रमाण-पत्र में गलत सूचना अंकित करना तथा भिन्न–भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न जन्मतिथियां दर्शाये जाने के आरोप भी अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध पाये गये हैं।

..3

4. उपरोक्तानुसार श्री उत्पल सामन्त, प्रवक्ता-गायन (निलम्बित) पर लगाये गये सभी आरोप ठोस साक्ष
के आधार पर सिद्ध पाये गये हैं। अतः मामले के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार
परामर्श/सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, सम्यक विचारोपरान्त, उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल, श्री उत्पल सामन्त
प्रवक्ता-गायन (निलम्बित) को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम,
(ख) (चार) में प्राविधानित निम्न शास्ति दिये जाने के आदेश देते हैं:-

"सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।"

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या-604 (1)/VI-I/2008-11(10)/94, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों के सचिवगण।
2- भारत वर्ष के समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवगण।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-912/05/ए00डी0सी0/सेवा-1/2008-09, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 के सन्दर्भ में।
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त निगमों/परिषदों/आयोगों/स्थानीय निकायों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक/प्रभारी अधिकारी।
11- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13- निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14- प्रधानाचार्य, भातखण्डे हिदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून।
15- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इंटरनेट पर प्रसारण हेतु।
16- सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्ति द्वारा- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17- गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
अनु सचिव